प्रेस विज्ञप्ति
31.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, अवैध कॉल सेंटर चलाकर और विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध का नेटवर्क संचालित करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन की जांच के मामले में 29.01.2026 को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्य में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान में जोनी, दक्षय सेठी, गौरव वर्मा और अन्य के आवासीय परिसरों को शामिल किया गया।

ईडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) की एफ.बी.आई. द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर, अमेरिकी नागरिकों से लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए, बी.एन.एस. 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत, सी.बी.आई. द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. के आधार पर, अभियुक्तों के खिलाफ जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि अवैध कॉल सेंटर, यानी डिजीकैप्स - द फ्यूचर ऑफ डिजिटल में 36 कर्मचारी थे, जिनमें जिगर अहमद, यश खुराना, इंदरजीत सिंह भाली, निखिल शर्मा शामिल थे, जो जोनी, दक्षय सेठी और गौरव वर्मा की देखरेख में काम करते थे। उन्होंने तकनीकी सहायता कॉल सेंटर सेवा के बहाने अमेरिकी पीड़ितों को ठगा और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पीड़ितों की महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली और उन्हें आईआरएस (आंतरिक राजस्व सेवा, यूएसए) द्वारा वैधानिक कार्रवाई की धमकी दी, और बाद में उन्हें अपना पैसा क्रिप्टो खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया, जो विदेशी पीड़ितों के खातों से क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित किए गए थे और बाद में अपराध से प्राप्त आगम को व्यक्तिगत लाभ के लिए शेल संस्थाओं, ब्लिस इंफ्राप्रॉपर्टीज एलएलपी और ब्लिस इंफ्रावेंचर्स एलएलपी में स्थानांतरित कर दिया।

जांच में आगे पता चला कि अभियुक्तों द्वारा अपराध से प्राप्त आय को रियल एस्टेट में लगाया गया था। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न डिजिटल उपकरण बरामद हुए, 34 लाख रुपये की बिना हिसाब-किताब की नकदी जब्त की गई और अभियुक्तों को भारत और विदेशों में उच्च मूल्य के निवेश और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से जोड़ने वाले अपराध-संकेती रिकॉर्ड बरामद हुए।

आगे की जाँच जारी है।